आज़ादी का अमृत महोत्सव

चेतना

मध्यप्रदेश पुलिस
द्वारा
जनहित में प्रसारित

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष
30 जुलाई मानव तस्करी के विरूद्ध विश्व दिवस
(World Day Against Trafficking in Persons)
मनाया जाता है। यह दिवस मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों की स्थिति के संबंध में जागरूकता लाने तथा इनके अधिकारों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs & Crime) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं वैश्विक जागरूकता व संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से 'द ब्लू हार्ट कैंपेन' (The Blue Heart Campaign) प्रारंभ किया। ब्लू हार्ट लोगो (सांकेतिक चित्र) के रूप में सृजित किया गया है, जिसमें नीला रंग मानव गरिमा के विरूद्ध मानव दुर्व्यापार जैसे गंभीर अपराध का मुकाबला करने की संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मानव दुर्व्यापार जैसा गंभीर अपराध किसी भी पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2007 से हमारे देश में मानव दुर्व्यापार के विरूद्ध जागरूकता लाने हेतु प्रतिवर्ष 11 जनवरी को "राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस" (National Human Trafficking Awareness Day) के रूप में मनाया जाता है। साथ ही जनवरी माह को राष्ट्रीय दासता और मानव दुर्व्यापार रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी गई है।

परिकल्पना

मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध बालक-बालिकाओं, महिला एवं पुरुषों के प्रति कारित किये जाने वाले अमानवीय गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। उक्त अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता एवं एकजुटता जैसी भावना को लेकर प्रदेशस्तरीय जन-जागरूकता अभियान चेतना का आयोजन किया गया है। जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं शोषित वर्ग को समाज के केन्द्र बिन्दु में लाना।
2. जनजागरूकता के माध्यम से जन समुदाय को मानव दुर्व्यापार के प्रति संवेदनशील बनाना।
3. मानव दुर्व्यापार अपराध प्रवृत्त/बाहुल्य क्षेत्र, वर्ग, समुदाय इत्यादि का सघन चिन्हांकन कर योजनाबद्ध अपराध रोकथाम हेतु समुचित कार्यवाही।
4. मानव दुर्व्यापार के सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश।
5. मानव दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम में समाज की सकारात्मक भूमिका निर्वहन हेतु प्रोत्साहन।
6. मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न हितधारकों (Multi-Stakeholders) को साथ जोड़कर प्रभावी कार्यवाही।

इन्हीं उद्देश्यों के क्रियान्वयन तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु महिला सुरक्षा शाखा, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अभियान ''चेतना'' की परिकल्पना की गई है तथा पोस्टर-पुस्तिका ''चेतना'' तैयार की गई हैं। जिसके माध्यम से जन-समुदाय को मानव दुर्व्यापार के अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाकर दुर्व्यापार से पीड़ित वर्ग की सुरक्षा को समाज के केन्द्र बिन्दु में लाने का प्रयास किया गया है।

मानव दुर्व्यापार के अपराध में पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को ड़रा-धमका कर, प्रलोभन देकर, छल-कपट अथवा हिंसा के माध्यम से सस्ती एवं बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, अंग प्रत्यारोपण तथा बाल छल-कपट सहित लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील चित्रण, मनोरंजन, पर्यटन, ड्रग ट्रायल, दत्तक ग्रहण, सरोगेसी आदि के लिए उपयोग कर इनका मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है।

आधुनिकीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास, संचार क्रांति इत्यादि के कारण बदलते सामाजिक परिवेश में मानव दुर्व्यापार के अपराध की प्रवृत्ति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस को सतर्क एवं संवेदनशील बनाने के लिए महिला सुरक्षा शाखा द्वारा "चेतना'' पोस्टर पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

संदेश

मानव दुर्व्यापार दुनिया का तीसरा बड़ा संगठित व्यवसाय है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा-बेचा या बंधक बनाकर रखा जाता है। मानव तस्करी से आम जनता को जागरूक करने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान की पहल हेतु **"चेतना"** पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश पुलिस का यह प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। समाज में मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मानव दुर्व्यापार जैसी सामाजिक बुराई से अगर हमें निपटना है तो इसको दोनों छोरों से पराजित करना होगा। एक छोर कानूनी है तो दूसरा सामाजिक। एक मजबूत कानून के द्वारा लोगों को जागरूक कर ही हम इस संगठित अपराध की कमर तोड़ सकते हैं। एक सशक्त कानून अपराधियों के मन में डर पैदा करेगा, जबकि जागरूकता अभियान इस जघन्य अपराध के प्रति लोगों को सजग और सचेत करेगा। विभिन्न विभागों विशेष तौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, अशासकीय संगठन, श्रम विभाग, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, पुलिस की मैदानी इकाईयां तथा आम जनमानस की सहभागिता से यह अभियान व्यापक रूप ले सकेगा।

मुझे आशा है इस अभियान से उक्त गम्भीर अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा एवं बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में चहुंमुखी विकास का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उक्त अभियान के लिए अनेक कलाकारों के योगदान के द्वारा संदेश देने वाली **"चेतना"** पुस्तिका तैयार की गई है जो प्रचार- प्रसार के लिए काफी प्रभावशील होगी। उक्त अभियान की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र
मंत्री
गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि
मध्यप्रदेश शासन

संदेश

मानव दुर्व्यापार जैसे गंभीर अपराध सभ्य समाज के लिए अभिशाप बन चुके हैं, ये अपराध मानवीय मूल्यों की मूल भावना को कलंकित करते हैं। समाज में सुरक्षित जीवन यापन की परिस्थितियां निर्मित करना मध्यप्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध को रोकने के लिए वैधानिक प्रावधानों के जमीनी स्तर पर क्रियांवित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि आमजन के बीच पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। जानकारी के अभाव में आम जनता कानूनी अधिकार एवं दायित्वों का उपयोग नहीं कर पाती है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में नवाचार का प्रदर्शन करते हुए ''चेतना'' पुस्तिका के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान से समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से बालिकाओं एवं महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागरूकता विकसित होगी, जिससे असामाजिक तत्वों में अपराध न करने की मन:स्थिति निर्मित होगी।

मध्यप्रदेश राज्य को मानव दुर्व्यापार जैसे गंभीर एवं संगठित अपराध से मुक्त बनाने की दिशा में यह जागरूकता अभियान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।

(डॉ. नरोत्तम मिश्र)

डॉ. राजेश राजोरा आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन
गृह एवं जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

संदेश

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा विशेषत: महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए तथा विकास का समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् सुरक्षित वातावरण निर्मित किया जा रहा है।

इस अवसर पर राज्य स्तरीय जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत आदि में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, वाल पेंटिंग, पोस्टर पेम्पलेट, स्काई वेलून, लघु फिल्मों का प्रदर्शन आदि विधाओं द्वारा जन-मानस का ज्ञानवर्धन करना उद्देश्य रखा गया है।

आम जनता तक यह विषय अपनी पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ पहुंचे, ऐसा भरसक प्रयत्न इस जागरूकता अभियान के अन्तर्गत किया गया है। समाज के सभी वर्गों विशेषकर बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण सुदृढ़ करने में यह जागरूकता अभियान बेहद उपयोगी साबित होगा, ऐसी मैं हार्दिक अभिलाषा व्यक्त करता हूं।

(डॉ. राजेश राजोरा)

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
भोपाल- 462008

सुधीर कुमार सक्सेना, भा.पु.से.
पुलिस महानिदेशक

संदेश

मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध बालक-बालिकाओं, महिला एवं पुरुषों के प्रति कारित किये जाने वाले अमानवीय गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। उक्त अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता एवं एकजुटता भी आवश्यक है।

उक्त अपराधों से मानवीय हितों की सुरक्षा के साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास एवं उन्हें गौरवमयी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। आम-जनमानस की सहभागिता से यह अभियान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिये उपयोगी होगा।

इस जन-जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष किये जाने हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे। इन गतिविधियों में समाज के आमजन को सम्मिलित किया जाएगा जिससे कि इन जघन्य अपराधों का एक समग्र प्रयास से उन्मूलन किया जा सके। मैं इस अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं।

(सुधीर कुमार सक्सेना)

WOMEN SAFETY BRANCH

INDEX

1	Online Trafficking/Hoaxing/ऑनलाइन दुर्व्यापार/धोखेबाज़ी
3-9	Child Exploitation/बाल शोषण
11-14	Betrayal Of Trust/भरोसे में धोखा
15	स्लोगन/Slogan
17	Illegal Adoption/अवैध दत्तक ग्रहण
19	हमारी शक्ति - सबकी समृद्धि
20	पीड़ित के अधिकार/Rights of Victim
22	शपथ/Oath
23	अवधारणा/Concept
24	कलाकार/Artist

ऑनलाइन दुर्व्यापार/धोखेबाज़ी
Online Trafficking/Hoaxing

मानव दुर्व्यापार में संलिप्त अपराधी फर्जी लिकं/मेल के माध्यम से प्रलोभन देकर विभिन्न प्रकार के जाल में फंसा लेते हैं। इस जालसाजी से सतर्क रहने हेतु "ऑनलाइन ट्रैफिकिंग" पोस्टर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से "जानें समझें, फिर क्लिक करें" संदेश दिया गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
जानें, समझें.. फिर क्लिक करें!
वीडियो/फोटो वायरल
स्पा/पार्लर में दैहिक शोषण
अश्लील चित्रण
घरेलू नौकर
खरीद फरोख्त
वेश्यावृत्ति
शादी का झाँसा
बाल अश्लील चित्रण
नौकरी का झाँसा
बंधुआ मजदूरी
जालसाजी
मानव-अंग तस्करी
फर्जी वैवाहिक वेबसाइट
www..........
www..........
फर्जी लिंक
यह अपराध IPC, ITPA, IT ACT के अंतर्गत 10 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

बाल शोषण / Child Exploitation

संगठित अपराधियों द्वारा बच्चों के माता-पिता को प्रलोभन देकर बच्चों का विभिन्न प्रकार के अवैधानिक कार्यों जैसे मादक पदार्थों के विक्रय/तस्करी में उपयोग करना, विकलांग कर भिक्षावृत्ति कराकर उनका विभिन्न प्रकार से शोषण कर उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित कर चहुंमुखी विकास पर विराम लगा दिया जाता हैं।

साथ ही बालक/बालिकाओं को जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों, कारखानों के खतरनाक काम/धंधों में तथा अवैधानिक रूप से खेती-किसानी घरेलू, आदि कार्यों में लगाकर, उनका शोषण कर उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाता हैं।

पोस्टर्स के माध्यम से आमजन को बच्चों के अधिकारों तथा बाल शोषण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है।

"नन्हें-नन्हें हाथों को काम नहीं, किताब दो"

यह अपराध बाल श्रम अधिनियम धारा 14 एवं जे जे एक्ट धारा 75 के अंतर्गत 3 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय

सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज

महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

सोच-समझकर कदम उठाएं
पैसों के लालच में न आए!

यह अपराध IPC धारा 370, जे जे एक्ट धारा 81 के अंतर्गत
10 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय

सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज

महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

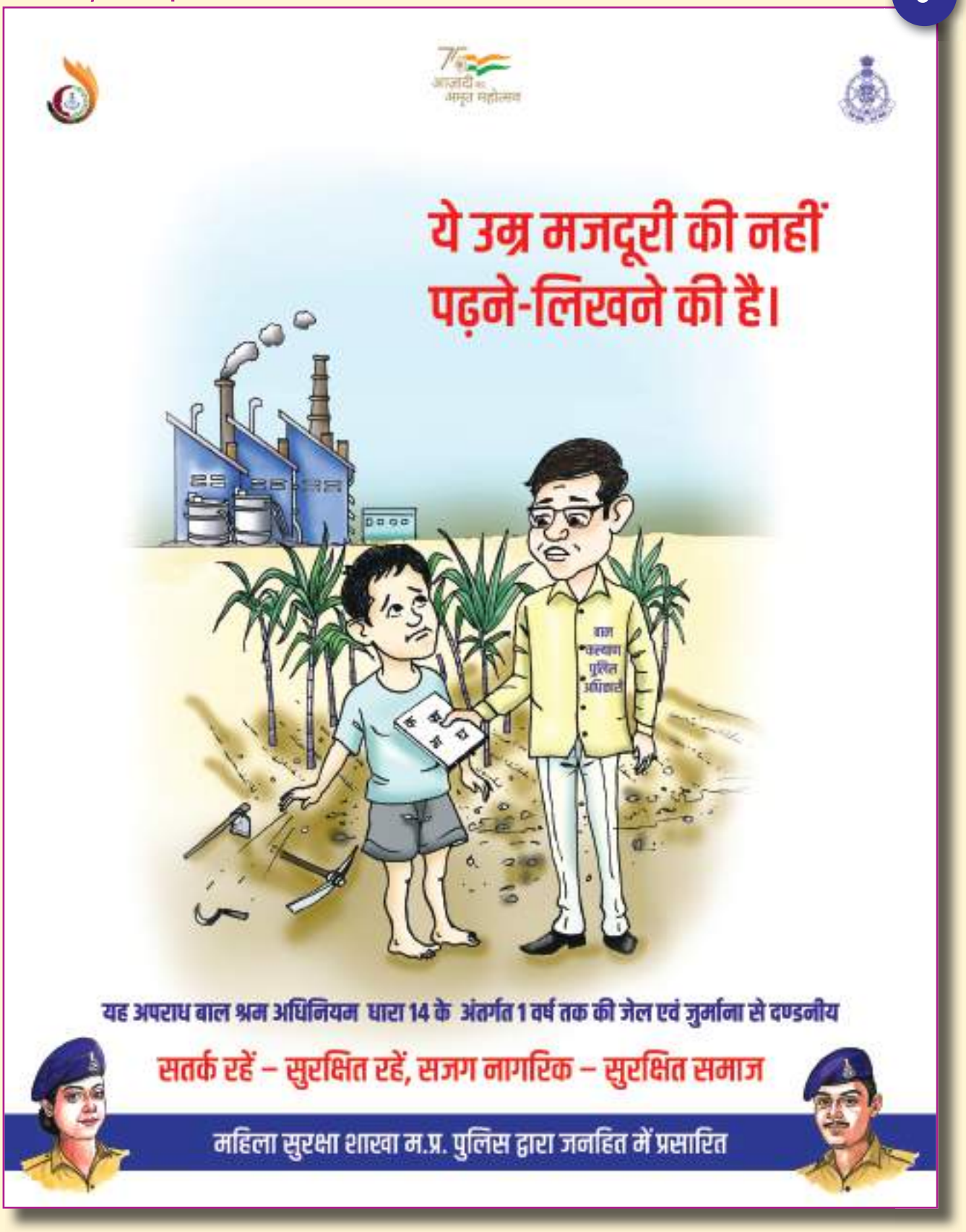
ये उम्र मजदूरी की नहीं
पढ़ने-लिखने की है।
यह अपराध बाल श्रम अधिनियम धारा 14 के अंतर्गत 1 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

अभी करनी है
हमें पढ़ाई..
मत करवाओ
हमसे कमाई...
यह अपराध जे जे एक्ट धारा 75, 79 के अंतर्गत 5 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

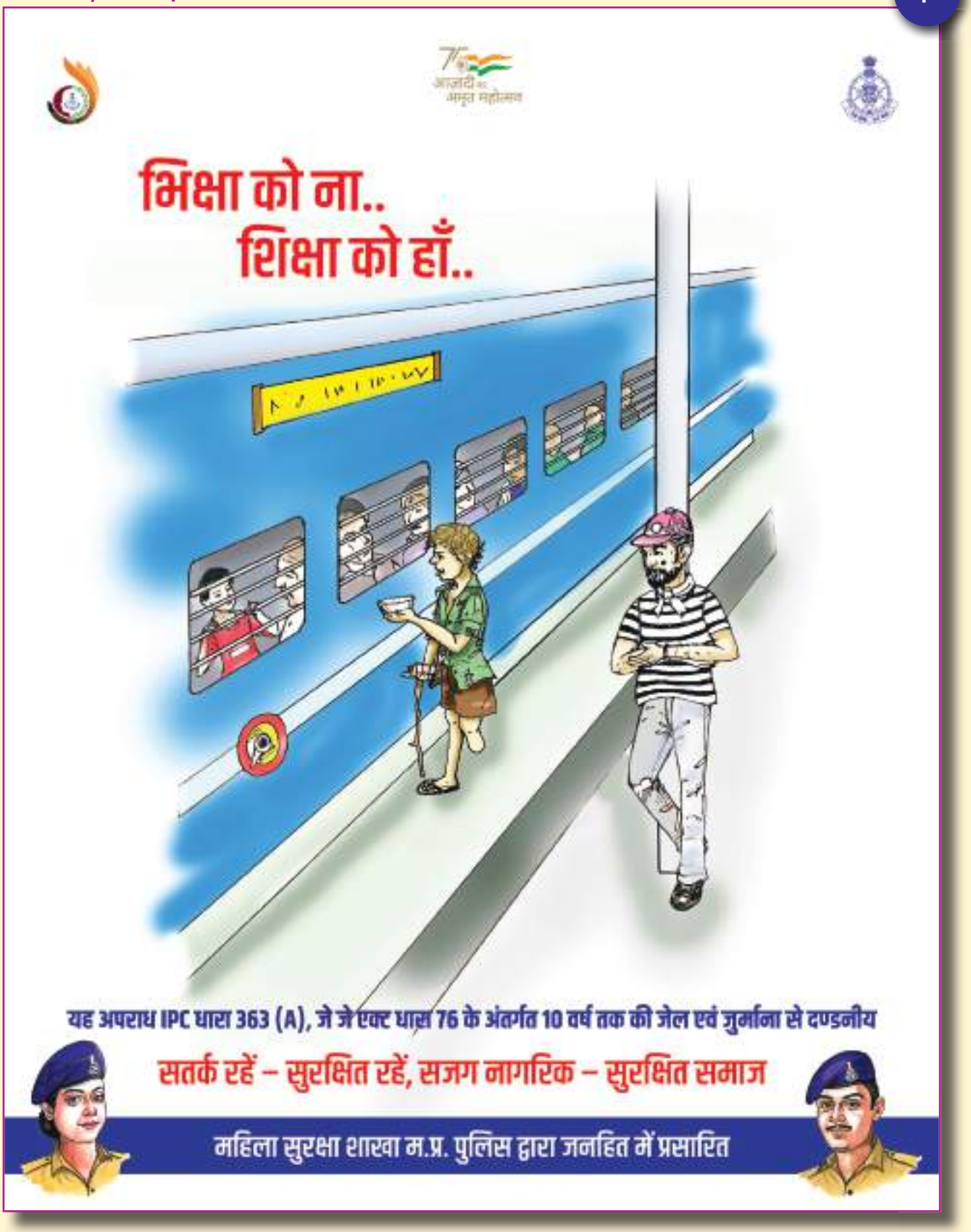
भिक्षा को ना..
शिक्षा को हाँ..
यह अपराध IPC धारा 363 (A), जे जे एक्ट धारा 76 के अंतर्गत 10 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

बाल शोषण/Child Exploitation

8

बाल शोषण/Child Exploitation

9

भरोसे में धोखा/Betrayal of Trust

मानव तस्करों/दलालों द्वारा महिलाओं को नाना प्रकार के प्रलोभन- उन्हें अच्छा काम/नौकरी, अच्छी जगह शादी कराने का लालच, स्पा/ ब्यूटी पार्लर/मसाज पार्लर में काम के नाम पर, महिलाओं की विपरीत परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर उनका यौन शोषण कर, उन्हें वेश्यावृत्ति के जाल में फंसा लिया जाता है।

इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश की भोली-भाली लड़कियां जो उच्च शिक्षा, रोजगार आदि के सपने संजोकर शहर आती हैं। उन्हें विभिन्न आपराधिक तत्वों/तस्करों द्वारा अच्छा काम दिलाने के नाम पर, शहरी विलासता चकाचौंध का लालच देकर, बहला- फुसलाकर उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता हैं।

पोस्टर्स के माध्यम से लड़कियों एवं महिलाओं को सचेत करने का प्रयास किया गया है।

नारी सम्मान के लिये है
दुर्व्यापार के लिये नहीं.....
बहन जी
मुझे बचा लो...
हैलो डॉयल 100!
यह अपराध IPC धारा 342, 370, 370(A) के अंतर्गत 7 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

भरोसे में धोखा/Betrayal of Trust

12

भरोसे में धोखा/Betrayal of Trust

13

भरोसे में धोखा/Betrayal of Trust

14

स्लोगन/Slogan

मानव दुर्व्यापार है सामाजिक "अभिशाप",
इससे मुक्ति के लिए मिलाएं "हाथ से हाथ"

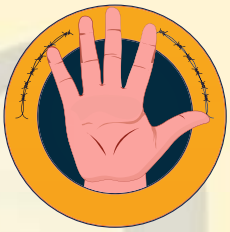

आज़ादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाएं।
मानव दुर्व्यापार को जड़ से मिटायें।

मानव दुर्व्यापार की बेड़ियां तोड़ें,
जीवन की नयी राह खोलें।

बाल सुरक्षा की अब हमने हैं ठानी,
यह बात जन-जन को है बतानी।

स्वर्णिम भविष्य पर दीमक मत लगाओं,
बच्चे समाज का भविष्य है, कीमत मत लगाओं।

अवैध दत्तक ग्रहण/Illegal Adoption

कई अवसरों पर नासमझी/लोभ-लालच/अपराध के कारण अवैध गर्भधारण से उत्पन्न शिशु को नि:संतान दम्पतियों द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से गोद लिया जाता है। खरीद-फरोख़्त के माध्यम से अवैध दत्तक ग्रहण मानव दुर्व्यापार की श्रेणी का अपराध हैं।

पोस्टर के माध्यम से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण (CARA) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही शिशु/बच्चे को गोद लेने हेतु जागरूक किये जाने का प्रयास किया गया है।

नि:संतान दंपति चोरी-छिपे बच्चा गोद न लें।
कानूनी तरीके से ही बच्चा गोद लें।
अस्पताल
हैलो पुलिस!
यह गैरकानूनी है!
यह अपराध जे जे एक्ट धारा 80, 81 के अंतर्गत 5 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म. प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

हमारी शक्ति- सबकी समृद्धि

मानव दुर्व्यापार संगठित गंभीर अपराध है। इसका राज्य, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रोकथाम एक गंभीर चुनौती है।

मानव दुर्व्यापार निरोधी जागरूकता अभियान "चेतना" का उद्देश्य जन मानस को मानव दुर्व्यापार अपराध के प्रति अधिक सजग एवं संवेदनशील बनाना है।

मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं पीड़ितों के पुनर्वास, विभिन्न एजेन्सियों के समन्वित प्रयास से ही संभव है। इसके पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों - महिला बाल विकास, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विधिक सेवा प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, रेल्वे सुरक्षा बल एवं स्वयं सेवी संगठन तथा सजग नागरिकों की महती भूमिका है।

आईये, हम सभी "मानव दुर्व्यापार" के उन्मूलन एवं पीड़ितों को समृद्ध, सम्मानजनक एवं खुशहाल जीवनयापन हेतु एकजुट होकर बहुमूल्य योगदान दें।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
हमारी शक्ति-सबकी समृद्धि
शहरी विकास
परिवहन
पुलिस विभाग
शिक्षा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
आदिम जाति कल्याण
रेलवे सुरक्षा बल
विधिक सेवा प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास
श्रम
अशासकीय संगठन
सजग नागरिक
सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज
महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

पीड़ित के अधिकार
Rights of Victim

पुलिस कार्यवाही के दौरान

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करना एवं FIR की प्रति निःशुल्क प्राप्त करना।
धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता

2. मानव दुर्व्यापार एवं यौन अपराध पीड़िता/दिव्यांग पीड़िता की FIR एवं पसंद के स्थान पर कथन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेख करवाना।
धारा 154, 160(1), 161, 154(1)(क) - दण्ड प्रक्रिया संहिता
धारा 24(1) पॉक्सो अधिनियम, 2012

3. मानसिक/शारीरिक दिव्यांग पीड़िता को क्षेत्राधिकार के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का विवरण,पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठन, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, शिकायत पंजीयन कराने के अधिकार की जानकारी प्रदाय करना।
धारा 7(4) - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
धारा 40 पॉक्सो अधिनियम, 2012

4. द्विभाषिए (Interpreter) अनुवादक (Translator) या विशेष प्रबोधक (Special educator), सहायक व्यक्ति (support person) की सहायता प्रदाय कराना।
धारा 154(1)(क), 164 (5ए) - दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 19(4), 26(2, 3) - पॉक्सो अधिनियम, 2012एवं नियम 5 - पॉक्सो नियम, 2020

5. पीड़ित की निजता, गोपनीयता एवं सम्मान बनाये रखना।
धारा 228ए-भादवि, धारा 327(2)(1) - दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 33(7) पॉक्सो अधिनियम, 2012

6. अंतिम प्रतिवेदन के समस्त प्रपत्रों की प्रति निःशुल्क प्राप्त करना।
धारा 173(2)(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 25(2) पॉक्सो अधिनियम, 2012

7. अवयस्क यौन अपराध पीड़िता का दुर्व्यापार भी हुआ है तो-

(a) एफ.आई.आर. लेखक अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्राप्त करना।
नियम 4(1) पॉक्सो नियम 2020

(b) अनुसंधान के दौरान माता-पिता अथवा अन्य भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखना।
धारा 26(1) पॉक्सो एक्ट 2012

(c) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अनुसंधान के दौरान आरोपी के समक्ष न आना।
धारा 273-दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 24(3) पॉक्सो अधिनियम, 2012

(d) आरोपी, यदि परिवार का ही कोई व्यक्ति हो तो बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार पीड़ित का किसी बाल संरक्षण देखरेख संस्थान में भेजा जाना।
धारा 19(5)-पॉक्सो अधिनियम-2012, नियम 4(4) पॉक्सो नियम, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016

(e) पीड़ित को निःशुल्क विधिक परामर्श एवं सहायता प्राप्त करना।
धारा 40-पॉक्सो अधिनियम एवं पॉक्सो नियम 2020-4(3)(ई)(एफ)एवं नियम

(f) अनुसंधान एवं विचारण के समस्त चरणों की जानकारी प्राप्त करना।
नियम 4(13)(15)-पॉक्सो नियम, 2020

(g) पीड़िता को रात्रि में किसी भी कारण से पुलिस थाने में न रोका जाना।
धारा 24(4)-पॉक्सो अधिनियम, 2012

8. नाबालिग बालिकाओं के अपहरण/व्यपहरण के प्रकरण में सूचनाकर्ता को अधिकार पत्र प्रदाय किया जाना।
शासन के पत्र क्रमांक/85/325/2021/बी-1/दो, भोपाल दिनांक 21.01.2021 एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र डब्ल्यू-7/2182/21 दिनांक 13.09.2021

सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज

महिला सुरक्षा शाखा म.प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

9. पात्रता अनुसार पीड़ित प्रतिकर राशि प्राप्त करना।
मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरान्त नाबालिग पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिये अन्तरिम/अंतिम मुआवजा।
नियम 9-पॉक्सो नियम, 2020

11. निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना।
धारा 12-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

12. दुर्व्यापार से पीड़ित बालक/बालिका को बरामदगी (दस्तयाबी) के उपरान्त बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
धारा 31-किशोर न्याय अधिनियम 2015

13. अपराध के पीड़ित, विधि का उल्लंघन करने वाले, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक तथा महिला की पहचान उजागर न किया जाना।
धारा 74-किशोर न्याय अधिनियम 2015, धारा 23-पॉक्सो अधिनियम, 2012, धारा 228ए - भादवि

14. विधि का उल्लघंन करने वाले बालकों/पीड़ित बालकों को किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष सादी वर्दी में प्रस्तुत किया जाना।
धारा 8(4)-किशोर न्याय आदर्श नियम-2016

15. बाल मजदूरी एवं दुर्व्यापार पीड़ित बालक का सामाजिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक पुनर्वास-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता विरूद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 एससी 699 में पारित दिशा निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा नियोक्ता से 20 हजार रूपये की वसूली कर राशि बालक के पुनर्वास हेतु नियमानुसार (CWC के माध्यम से) प्रदाय की जाना।

16. बाल मजदूरी एवं दुर्व्यापार पीड़ित बालक के पूर्व वेतन की वसूली (श्रम विभाग के माध्यम से)
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

17. मुक्त कराये गये श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना।
धारा 14-बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976

18. मानव दुर्व्यापार के प्रकरण जिनमें बलात्संग एवं अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अपराधियों की अग्रिम जमानत आवेदन निराकरण संबंधी निर्देश।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध मो. साजिद हुसैन क्रिमिनल अपील क्र. 1402-1409/2007 दिनांक 10.10.2007 महिला अपराध शाखा के परिपत्र क्र./पुमु/म.अप/डब्ल्यू-2/7753/2013 भोपाल दिनांक 30.10.2013

न्यायालय में विचारण के दौरान

1. विचारण के दौरान समस्त चरणों की जानकारी प्राप्त करना।
नियम 4(13)(15)-पॉक्सो नियम, 2020

2. न्यायालय में विचारण के दौरान माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखना।
धारा 33(4), 37-पॉक्सो अधिनियम, 2012

3. बचाव पक्ष के वकील द्वारा पीड़िता से सीधे सवाल न किया जाना।
धारा 33(2)-पॉक्सो अधिनियम, 2012

4. पीड़ित के कथन उसके निवास स्थान के जिला न्यायालय में ही वीडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाना।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रफुल्ल देसाई विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया 2003(4) SSC 601 में पारित आदेश।

5. साक्षियों का उचित संरक्षण एवं सुरक्षा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महेन्द्र चावला विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया (WP Criminal 156/2016) दिनांक 5.12.2018 को पारित आदेश।

6. पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने प्रकरण में प्रतिरक्षा हेतु निजी वकील किया जाना।
धारा 301(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

सतर्क रहें – सुरक्षित रहें, सजग नागरिक – सुरक्षित समाज

महिला सुरक्षा शाखा म. प्र. पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित

शपथ

हम शपथ लेते हैं कि पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को ड़रा-धमका कर, लालच देकर, धोखा देकर अथवा हिंसा कारित कर मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध को न स्वयं करेंगे, न होने दें एवं जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे।

जयहिन्द

अवधारणा/Concept

महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय, म.प्र. में कर्तव्यरत् अधिकारियों द्वारा मानव दुर्व्यापार के घटित/पंजीबद्ध हो रहे अपराधों के प्रति संवेदनशीलता, सतर्कता, सजगता तथा इन अपराधों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से पोस्टर्स अवधारित कर तैयार किये गये है।

श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
अति.पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्रीमती शालिनी दीक्षित
समनि (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

सुश्री नेहा पच्चीसिया
उपुअ (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्री संजय सिंह सोनी
निरीक्षक (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

सुश्री नम्रता गुप्ता
उनि (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्री उमेश मिश्रा
उनि (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्रीमती लोरिन विक्टर
प्रआर (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्री दीपक शर्मा
आर (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

श्री सूरज प्रसाद दुबे
आर (महिला सुरक्षा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कलाकार/Artist

श्री राजेश कुमार दुबे, पिछले 25 वर्षों से कार्टून बना रहे हैं। इन्होंने नई दुनिया जबलपुर में Editorial cartoonist का काम किया है। इनके द्वारा बनाए गये कार्टून अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। राजनीति के अलावा इन्होंने सामाजिक मुद्दों एवं जागरूकता के लिए भी कार्टून बनाएं हैं। Cartoonleela नाम की कार्टून की मैगजीन प्रकाशित की है। सोशल मीडिया पर इनकी Cartoonleela.com नाम की साइट बेहद लोकप्रिय है, जिसमें ये प्रतिदिन एक कार्टून पोस्ट करते हैं। वर्तमान में यह Freelancing कार्टूनिस्ट के रूप में जबलपुर में कार्य कर रहें हैं। सुप्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरीशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं पर आधारित Cartoon series बनाई है जिसे मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा कई स्थानों पर लगाई गई है।

श्री हरिकान्त दुबे वर्ष 1990 में पुलिस विभाग में चयनित। सम्प्रति - सहायक उप निरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, भोपाल में। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, ड्यूटी मीट, पुलिस गेम्स, इण्डो - पाक मुशायरा आदि में आकल्पन। पुलिस विभाग एवं भारत के विभिन्न प्रतिष्ठानों में पेन्टिंग का संग्रह। गणतंत्र दिवस के टैब्लो तथा शहीद दिवस में शहीदों के पोर्ट्रेट तैयार करने का प्रभार। देश की अनेक गैलरियों में चित्रों का प्रदर्शन। चित्रकारी के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त। इस अभियान में इनके द्वारा यह अपराध है, मूकदर्शक न बनें, सायबर सिक्योरिटी और महिला सशक्तिकरण पर पोस्टर बनाये गए हैं।

सभी रचनाओं को पोस्टर का रूप का आकल्पन, म.प्र. माध्यम संस्थान की महाप्रबंधक **श्रीमती आशा रोमन** के मार्गदर्शन में **गौरी वंडलकर**, ग्राफिक डिजाइनर ने किया है।

मध्यप्रदेश पुलिस आपके साथ

0755-2443568 mpwsb@mppolice.gov.in @MakingWomenSafe

मध्यप्रदेश शासन/2022